फर्द अहकाम

राजेन्द्र बनाम अशोक

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 44/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/2/24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तरफ से जवाब दावा पेश किया। लिपि शाखा [illegible] P.O. का स्थानान्तरण होने से पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 5/3/24 को पेश हो।	अशोक कुमार शर्मा 26.2.2024
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. का राजकार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ आगामी कार्यवाही दिनांक 5/4/24 को पेश हो।	
	5/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 28/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	28/5/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. का राजकार्य में व्यस्त पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ बहस हेतु दिनांक 5/7/24 को पेश हो।	
	5/7/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. का अवकाश पर [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ दिनांक 23/7/24 को पेश हो।	
	23/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी गण सं. 1 व 2 ने [illegible]	

फर्द अहकाम

राजेन्द्र **बनाम** अशोक वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़,

केस संख्या 44/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		सहमति बाबत लिखित पेशकर रखा है। आज! वादी की एक तरफा बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट, बयान, प्रतिवादी गणों के सहमति पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल दर्ज रजिस्टर होकर नियत मियाद में हो तथा वाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
44/2023	28/03/2023	23.07.2024

1. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा उम्र 30 साल ब्राहमण निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1 अशोक पुत्र स्व0 जयनारायण

2 विनोद पुत्र स्व0 जयनारायण

उम्र 33, 34 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील वादी।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की पैतृक खातेदारी भूमि खाता नं0 151 जिसके खसरा नम्बर 204 रकबा 0.5815है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 4.4131है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.9948है0 ग्राम तन मानोता पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादी का सामलाती हिस्सा 1/168 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी की पैतृक खातेदारी भूमि है जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहे है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की पैतृक भूमि है। जो कि अपने पिताजी स्व0 जयनारायण पुत्र स्व जगन्नाथ से विरासत में प्राप्त हुयी है तथा उक्त भूमि का विरासती नामान्तरण सं0 254 दिनांक 14.09.1998 को खोलते समय सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने वादी का नाम राजू पुत्र जयनारायण दर्ज कर दिया जबकि वास्तविक वादी का नाम राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा है जो सही एवं सत्य है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी मे वादी का गलत नाम राजू पुत्र जयनारायण चल रहा हैं जबकि वास्तविक मे वादी का नाम राजेन्द्र कुमा पुत्र जयनारायण है और वादी के समस्त दस्तावेज पहचान–पत्र, आधार कार्ड, अंक तालिका, राशन कार्ड, जन आधार आदि में भी वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जयनारायण अंकित है। इसलिये राजू पुत्र जयनारायण को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा कर उसके स्थान पर वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जयनारायण शर्मा जाति ब्राहमण घोषित करवाने का वादी अधिकारी है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम राजू पुत्र जयनारायण के स्थान पर राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जयपुर

52

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/रीडर/2023/418 दिनांक 09.10.2023 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जो पत्रावली में शामिल है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने सहमति जवाब दावा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किये गये। वकील वादी की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र, तहसीलदार जवाब तथा अन्य दस्तावेजों एवं सहमति जवाब दावा का अवलोकन करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मानोता पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के खाता नं0 151 जिसके खसरा नम्बर 204 रकबा 0.5815है0, खसरा नम्बर 221 रकबा 4.4131है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.9948है0 में वादी के खातेदारी इन्द्राज राजू पुत्र जयनारायण के स्थान पर राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। खातेदार का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ